भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1323

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति

1323. श्री अमरा राम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्वतंत्र निदेशकों के कितने पद स्वीकृत हैं;

(ख) क्या अप्रैल 2025 में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशकों को पुन:नियुक्त किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नियुक्तियों के बाद भी, देश के अग्रणी बैंकों जैसे भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नैशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्वतंत्र निदेशकों (शेयरधारक, सरकार और आरबीआई द्वारा नामित निदेशकों को छोड़कर) की नियुक्ति नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त बैंकों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कब तक होने की संभावना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क), (ख), (ग) और (घ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थापना विशेष अधिनियमों, अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 ("1955 अधिनियम") और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 ("1970/1980 अधिनियम") द्वारा की गई है। भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड की संरचना 1955 के अधिनियम की धारा 19 में प्रदान की गई है और राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्ड की संरचना 1970/1980 अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) में प्रदान की गई है। इन अधिनियमों के अंतर्गत बोर्ड/समिति की संरचना में "स्वतंत्र निदेशकों" की श्रेणी की परिकल्पना नहीं की गई है।

*****